(2)

6-8

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद–कन्नौज।

सेवा में,

कन्नौज पब्लिक स्कूल
अकबरपुर सराय तिर्वा रोड़
जनपद कन्नौज ।

पत्रांक/बेसिक/नवीनीकरण/ /2018–19 दिनांक :– 31-03-19

विषयः–निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आप द्वारा दिनांक 27.08.2018 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक/8920–23 दिनांक 13.12.2013 के द्वारा कन्नौज पब्लिक स्कूल अकबरपुर सराय तिर्वा रोड़ जनपद कन्नौज को कक्षा–6 से कक्षा–8 तक (अंग्रेजी माध्यम) की दिनांक 01 जुलाई, 2015 से दिनांक 30 जून, 2018 तक तीन वर्ष हेतु दी गयी अस्थायी प्रकार की मान्यता का नवीनीकरण/अस्थायी मान्यता जो स्थायी प्रगति की होगी, का नवीनीकरण कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उक्त दिये गये आवेदन पत्र के आधार पर सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या एवं उक्त तीन वर्षो में विद्यालय की मान्यता की शर्तो के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में न आने के आधार पर कन्नौज पब्लिक स्कूल अकबरपुर सराय तिर्वा रोड़ सरायमीरा जनपद कन्नौज को पूर्व में कक्षा–6 से कक्षा–8 तक (अंग्रेजी माध्यम) की दिनांक 01 जुलाई, 2015 से दिनांक 30 जून, 2018 तक तीन वर्ष की दी गयी मान्यता को शासनादेश संख्याः 418/79–6–2013–18 एस(7)/89 शिक्षा अनुभाग–6 दिनांक 08 मई, 2013 के बिन्दु संख्या 13 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार दिनांक 01 जुलाई, 2018 से अस्थायी मान्यता (जो स्थायी प्रगति की होगी) निम्न प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रुप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, अधिनियम, 2009 (उपाबंध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबंध–2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक पास–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–

I. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
II. किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नही किया जाएगा।
III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले बालक को नियम 25 के अधीन अधिवंचित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्ता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेदन दिया जाना।
VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम, 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु वह यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं है, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगा।

VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और
VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों के नियोजित नहीं करेगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय के परिसरों के भीतर या विद्यालय के बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेंगी।
9. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
10. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
11. स्कूल को किसी व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
13. विद्यालय ऐसी रिपोर्टें और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किया जायें।
14. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।
15. विद्यालय प्रबन्ध/न्याय और कर्मचारी वर्ग समय–समय पर जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देशों का अनुपालन करेगा।
16. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य काई शर्त।

भवदीय

(दीपिका चतुर्वेदी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कन्नौज।

पृ0सं0/बेसिक/नवीनीकरण/ 23036-40 /2018–19/तद्दिनांक।
प्रतिलिपिः–निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 लखनऊ।
2. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) कानुपर मण्डल, कानपुर।
4. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद–कन्नौज।
5. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कन्नौज।